प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 21.06.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान चेन स्नेचिंग की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार,कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, 01 स्कूटी एवं लूटी गई चेन से प्राप्त ₹25000/- बरामद।

दिनांक 20.06.2025 को समय करीब रात 11:45 बजे थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु बुदाना पर चेकिंग की जा रही थी तभी दो स्कूटी सवार व्यक्ति बुदाना की तरफ से आए जिन्हें चेकिंग हेतु पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया किंतु वह पुलिस को देखकर बुदाना के जंगल की तरफ भागने लगे जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया व रोकने का इशारा किया गया परंतु उनके द्वारा स्कूटी को तेजी से मोड कर भागते हुए एक राउंड फायरिंग की गई तभी उनकी स्कूटी फिसल कर गिर गई । जिन्हें शक होने पर पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया जिसमें एक अभियुक्त के पैर मे गोली लगी जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया व अन्य व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते भाग गया। घायल व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम शोएब पुत्र साजिद निवासी खैर नगर मेरठ थाना दिल्ली गेट मेरठ बताया उसकी तलाशी ली गई तो उसकी एक जेब से दो जिंदा कारतूस व दूसरी जेब से ₹25000 बरामद हुए ₹25000 के बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह पैसे अभी कुछ दिन पहले 4 तारीख को हमने हरमुख पुरी से एक महिला की चेन लूटी थी। अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर यह पैसे उस चेन को बेचकर मिले हैं। जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 0.32 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस व 01 स्कूटी बरामद हुई। अभियुक्त शोएब पर विभिन्न जनपदों में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के 32 मुकदमे पंजीकृत है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 130 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

दिनांक 20.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दौराने चैकिंग चौकी क्षेत्र पुस्ता में घिटौरा कट से अवैध 130 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ एक अभियुक्त अजय उर्फ नीटू पुत्र बीरेन्द्र सिंह निवासी मंगल बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र लगभग 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं हरियाणा मार्का की शराब, हरियाणा से चोरी-छुपे बैग व बोरे में छिपाकर लेकर आता हूँ तथा आसपास क्षेत्र में शराब को बेच देता हूँ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अजय उर्फ नीटू पुत्र बीरेन्द्र सिंह निवासी मंगल बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र लगभग 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अवैध 130 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 08.05.2025 को थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्रांन्तर्गत हुई पुलिस मुठभेड के मुकदमे में वाँछित अभियुक्त गुलफराज खान उर्फ अतुल पुत्र सलिम खान निवासी म0न0 ए 4/145 ए ब्लाँक नन्द नंगरी उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र 38 वर्ष को आज दिनांक 21.6.2025 को मुखबिर की सूचना पर लकडी मार्केट शौचालय कट डीएलफ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गुलफराज खान उर्फ अतुल के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त गुलफराज खान उर्फ अतुल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि करीब डेढ महीने पहले अभियुक्त गुलफराज खान उर्फ अतुल अपने दोस्त अदनान एक मोटरसाईकिल पर सवार होकर फोन या चैन छीनने की तलाश में शालीमार गार्डन आये थे , मैं मोटर साईकिल चला रहा था और अदनान पीछे बैठा था जब हम डीएवी स्कूल के पास पुराने बीएसएनएल कार्यालय के पास पहुंचे तो हमने देखा कि सामने पुलिस खडी है जिससे डरकर हम मोटर साईकिल तेज करके भागने लगे। भागते हुये जब हम प्रेम गली मे बीएसएनएल खेतान पब्लिक स्कूल के ग्राउण्ड की दीवार के पास पहुंचे तो हडबडाहट में हमारी मोटर साईकिल फिसल गई जिससे हम दोनों गिर गये। पकडे जाने के डर से मेरे साथी अदनान ने पुलिस को अपने तरफ आता देख पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया कर दिया था जिससे मै काफी घबरा गया था तथा तभी मै मौका पाकर वहां से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

गुलफराज खान उर्फ अतुल पुत्र सलिम खान निवासी म0न0 ए 4/145 ए ब्लाँक नन्द नंगरी उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र 38 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त गुलफराज खान उर्फ अतुल के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर लूट के 02 अभियोग व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम बस के अन्दर से रुपयों का बैग चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया । जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 24,01,000 रुपये व 03 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.06.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री हसमुखपुरी पुत्र श्री हीरापुरी निवासी गाम सरसपुर थाना शेरकोटड़ा जनपद अहमदाबाद गुजरात मो-9825015899 द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 17.06.2025 को मेरा मुनीम/नौकर अजयभारथी बस के द्वारा बरेली से 31 लाख 10 हजार रुपये का बैग लेकर कौशम्बी जनपद गाजियाबाद के लिए आ रहा था । जब बस कौशम्बी बस स्टैण्ड गाजियाबाद आकर रुकी तो पैसो से भरा बैग अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था । उक्त सूचना पर तत्काल थाना लिंकरोड पर धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से अभियुक्तगण को थाना नरोडा अहमदाबाद राज्य गुजरात से ट्राजिक्ट रिमांड लेकर मय बरामदशुदा माल कुल 24,01,000/- रुपये सहित हिरासत में लिया गया ।

पूछताछ का विवरण- हिरासत में लिये गये अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ विशाल ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ विशाल खोदो वादी का मुनीम अजयभारथी पुत्र मनुभारथी निवासी गाँव सिलवाँणा समी जिला पाटन गुजरात को पहले से ही जानता था । अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ विशाल खोदो को जानकारी थी कि अजयभारथी बरेली से सेठ का आढत का पैसा लेकर दिल्ली जा रहा है । अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ विशाल खोदो ने अपने तीन साथी भावेशभाई, बिष्णुजी उर्फ ढोलो व रोहन मनोज भाई के साथ मिलकर चोरी की योजना बनायी । दिनांक 17.06.2025 को अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ विशाल उर्फ खोदो बरेली पहुँच गया और अपने तीनो दोस्तो को भी वहीं पर बुला लिया था । चारों अभियुक्त वादी के मुनीम अजयभारथी के साथ सरकारी बस मैं बैठकर दिल्ली आये । कौशाम्बी बस स्टैण्ड के पास आकर अजयभारथी सोया हुआ था, तभी चोरो अभियुक्तगण के द्वारा रुपयों से भरा बैग को चोरी कर लिया था । अजयभारथी को शक न हो इसलिये अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ विशाल उर्फ उसके साथ यही पर रुक गया । और तीनों अभियुक्त रुपयों से भरा बैग को लेकर गुजरात के लिए निकल गये । और उनमें से रोहन मनोजभाई बाकि पैसे लेकर अहमदनगर ही उतर गया था। । उसी दिन कुछ घंटे बाद ही गुजरात के लिए निकल गया था, गुजरात में हम तीनो को पुलिस ने पकड लिया था। शेष दोनो अभियुक्तगण ने भी अभि0 अशोक कुमार उर्फ विशाल के बयानो का समर्थन किया ।

हिरासत में लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता –

1. भावेशभाई पुत्र बलदेवभाई रेवाभाई जाट मेहरिया निवासी एम0न0 के/503 सात मंजिला मरेशभाई का किराये का मकान गुरुद्वारा ओधव गांव ओधव अहमदाबाद शहर, मूल पता- 124 रोहितवास हरनाहोडा मनसा जिला गांधीनगर गुजरात उम्र करीब 33 बर्ष ।
2. बिष्णुजी उर्फ ढोलो पुत्र धुलाजी नाथाजी जाट राठोड निवासी 431/112 गोगापुरा निवास फार्म हरनाहोदा सामू मनसा जिला गांधीनगर गुजरात उम्र करीब 43 बर्ष ।
3. अशोक कुमार उर्फ विशाल उर्फ खोदो पुत्र अर्जनजी चंदनजी निवासी 30 व्यवसाय नौकरी मोटोवास वडस्मा मेहेसाणा जिला मेहेसाणा उम्र करीब 29 बर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 24,01,000 रुपये व 03 मोबाइल फोन बरामद।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- हिरासत में लिये गये अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी का एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य राज्यो से अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सदोष मानव वध (हत्या) के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण- आज दिनांक 21.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर धारा 191(2)/115(2)/117(2)/105/3(5) बी.एन.एस के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग सदोष मानव वध (हत्या) मे वाँछित चल रहे अभियुक्त दीपक पुत्र जगवीर को छिजारसी कट थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 11.06.2025 की रात्रि को ग्राम कनावनी मे पानी की बाल्टी मे पैर लग जाने को लेकर हुई मारपीट को लेकर वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना मे गम्भीर रुप से घायल रामसिंह की उपचार के दौरान जीटीबी अस्पताल दिल्ली मे मृत्यु के उपरान्त अभियोग मे सदोष मानव वध का अपराध पाते हुए अभियुक्त मे धारा 105/3(5) बीएनएस की वृद्धि करते हुए उच्चाधिकारीगणों के कुशल पर्यवेक्षण/दिशा निर्देशो के क्रम मे उक्त अभियोग मे नामजद वाँछित अभियक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों के अथक प्रयास के उपरान्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 11.06.2025 की रात्री को पडोसी की रखी बाल्टी मे पैर लगने को लेकर हुई कहासुनी के दौरान मारपीट से रामसिंह को काफी गम्भीर चोट लग गयी थी जिसकी ईलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल दिल्ली मे मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दीपक पुत्र जगवीर निवासी हाल पता टीटू पंडित का मकान कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम ओहन घाट थाना बागबाला जनपद एटा उम्र करीब 42 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।